

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 22/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/32

प्रार्थी


बनाम

विप्रार्थीगण

सोमराज पुत्र तेजाराम
जाति पालीवाल
निवासी सिणली चौसीरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1. भगाराम पुत्र सुजाराम जाति पालीवाल
2. मोहनलाल पुत्र सुजाराम
जाति पालीवाल
3. हुकमाराम पुत्र सुजाराम जाति
पालीवाल
4. मेघाराम पुत्र वेणीराम जाति पालीवाल
5. नेनाराम पुत्र हेमाराम जाति कुम्हार,
प्रजापत
6. डाउराम पुत्र पदमाराम जाति जाट
7. लक्ष्मणसिंह पुत्र पदमाराम
जाति जाट निवासी सिणली चौसीरा
8. मगाराम पुत्र हेमराज
जाति जाट निवासी कतवारी
9. ईससराम पुत्र रामूराम
जाति पालीवाल निवासी कतवारी
10. ताजाराम पुत्र मेहराराम
जाति जाट निवासी कतवारी
11. प्रेमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत
12. प्रभूराम पुत्र पूनमचंद जाति पालीवाल
13. भीमराम पुत्र प्रभूराम जाति पालीवाल
14. सुरेश कुमार पुत्र टीकमाराम
जाति पालीवाल
15. देवाराम पुत्र निम्वाराम जाति जाट
16. भूराराम पुत्र निम्वाराम जाति जाट
17. नरसिंगाराम पुत्र कन्नीराम
जाति पालीवाल निवासी सिणली जागीर
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
18. मोहनसिंह पुत्र भीखसिंह जाति




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजपूत निवासी जसोल तहसील
पंचपदरा

19.आसुसिंह पुत्र कानाजी जाति पुरोहित
20.सुरजसिंह पुत्र कानाजी जाति
पुरोहित

निवासी कालुड़ी तहसील पंचपदरा

21.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार
पंचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री. अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी


2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 21/4/2025



1.सक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 598/107 क्षेत्रफल 1.5135 हैक्टेयर,खसरा संख्या 600/127 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर,खसरा संख्या 602/42 क्षेत्रफल 1.0967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604/44 क्षेत्रफल 3.0027 हैक्टेयर व ग्राम कतवारी तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 583/350 क्षेत्रफल 2.8207 हैक्टेयर एवं ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 995/55 क्षेत्रफल 0.8296 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 598/107 क्षेत्रफल 1.5135 हैक्टेयर,खसरा संख्या 600/127 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर,खसरा संख्या 602/42 क्षेत्रफल 1.0967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604/44 क्षेत्रफल 3.0027 हैक्टेयर व ग्राम कतवारी तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 583/350 क्षेत्रफल 2.8207 हैक्टेयर एवं ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 995/55 क्षेत्रफल 0.8296 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्राथी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्राथी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्राथी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 598/107 क्षेत्रफल 1.5135 हैक्टेयर,खसरा संख्या 600/127 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर,खसरा संख्या 602/42 क्षेत्रफल 1.0967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604/44 क्षेत्रफल 3.0027 हैक्टेयर व ग्राम कंतवारी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 583/350 क्षेत्रफल 2.8207 हैक्टेयर एवं ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 995/55 क्षेत्रफल 0.8296 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्राथी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्राथी की भूमि के सेढा सेढ विप्राथी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्राथी की भूमि के सेढो को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्राथी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्राथी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्राथी झगडालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्राथी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्राथी द्वारा विप्राथी को मना करने के उपरांत भी विप्राथी प्राथी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्राथी की खातेदारी भूमि ग्राम सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 598/107 क्षेत्रफल 1.5135 हैक्टेयर,खसरा संख्या 600/127 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर,खसरा संख्या 602/42 क्षेत्रफल 1.0967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604/44 क्षेत्रफल 3.0027 हैक्टेयर व ग्राम कतवारी तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 583/350 क्षेत्रफल 2.8207 हैक्टेयर एवं ग्राम सिणली तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 995/55 क्षेत्रफल 0.8296 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी फरमावे जावे।



हमने प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 598/107 क्षेत्रफल 1.5135 हैक्टेयर,खसरा संख्या 600/127 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर,खसरा संख्या 602/42 क्षेत्रफल 1.0967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604/44 क्षेत्रफल 3.0027 हैक्टेयर व ग्राम कंतवारी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 583/350 क्षेत्रफल 2.8207 हैक्टेयर एवं ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 995/55 क्षेत्रफल 0.8296 हैक्टेयर भूमि प्राथी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्राथी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है,और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्राथी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहाँ यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.1.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के संमक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 598/107 क्षेत्रफल 1.5135 हैक्टेयर, खसरा संख्या 600/127 क्षेत्रफल 1.3112 हैक्टेयर, खसरा संख्या 602/42 क्षेत्रफल 1.0967 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604/44 क्षेत्रफल 3.0027 हैक्टेयर व ग्राम कतवारी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 583/350 क्षेत्रफल 2.8207 हैक्टेयर एवं ग्राम सिणली चौसिरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 995/55 क्षेत्रफल 0.8296 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर उभय-पक्षकारान को जरिए नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।



(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/4/25 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा 21/04/2025